न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

कमल पुत्र चौथया जाति धोबी उम्र 52 साल निवासी भरतून तहसील सपोटरा जिला करौली राज. — प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार, तहसील सपोटरा, लैण्डहोल्डर सपोटरा राज. — अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र मुंतकिली प्रकरण उनवानी सरकार बनाम कमल अपराध धारा 91 एल.आर. एक्ट मुकदमा नंबर 10/2019 न्यायालय तहसील सपोटरा

निर्णय

दिनांक 19.08.2020

यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 235 के तहत पेश किया गया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम भरतून तहसील सपोटरा की आराजी खसरा नंबर 996 रकबा 0.02 हैक्टे. किस्म गै.मु. रास्ता व आराजी खसरा नंबर 1014 रकबा 0.02 हैक्टे. किस्म गै.मु. रास्ता भूमि पर प्रार्थी द्वारा अतिक्रमण करने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट व भू–अभिलेख निरीक्षक वृत इनायती द्वारा अतिक्रमण की पुष्टि किये जाने पर प्रार्थी के विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार सपोटरा में मुकदमा संख्या 10/2019 संस्थित किया गया जिसमें प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना प्रार्थी के खेत की बाउण्ड्री अप्रार्थी द्वारा तोड़ दी गई। इसके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध थाना सपोटरा पर एफ.आई.आर. संख्या 273/2020 दर्ज करवाई गई है। इसलिये प्रार्थी को मुकदमा संख्या 10/2019 में अप्रार्थी से न्याय की उम्मीद नहीं होने के कारण मु.नं. 10/2019 को अन्य सक्षम न्यायालय में अंतरित किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थना पत्र मुंतकिली दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील प्रार्थी ने मुंतकिली प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि प्रकरण संख्या 10/2019 उक्त प्रकरण न्यायालय तहसीलदार, तहसील सपोटरा के यहां वास्ते मंगवाये जाने रिपोर्ट पटवारी हल्का में नियत है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी को दिनांक 13.12.2019 के बाद कोई आगामी तारीख पेशी नहीं बताई गई है व पत्रावली सरवर्क पर दिनांक 07.01.2020 दर्ज है जिसकी जानकारी प्रार्थी को दिनांक 08.06.2020 को नकल लेने पर हुई व दिनांक 13.12.2019 के बाद कोई आदेशिका पत्रावली में दर्ज नहीं है। तहसीलदार तहसील सपोटरा ने राजू ब्राह्मण से साज कर दिनांक 18.03.2020 को नोटिस जारी किया जिसका पत्रावली की आदेशिका पर कोई अंकन नहीं है ना ही उक्त पत्रावली में अभी तक पटवारी हल्का रिपोर्ट प्राप्त हुई है। फिर भी न्यायालय तहसीलदार, तहसील सपोटरा अप्रार्थी विष्णु भारद्वाज ने राजू ब्राह्मण निवासी भरतून से साजकर दिनांक 27.05.20 को मौके पर पहुंचकर जे.सी.बी. से बिना किसी प्रकार की प्रार्थी को सूचना दिये प्रार्थी के खेत की बाउण्ड्री को जे.सी.बी. मंगवा कर तुड़वा दिया है जिससे प्रार्थी का करीब 1.5 लाख रुपये का नुकसान हो गया है। उक्त अनाधिकृत कार्यसे व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा दिनांक 14.06.2020 को पुलिस थाना सपोटरा पर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 273/2020 अंतर्गत धारा 143, 323, 341, 354, 427, 447 ता. हि. व धारा 3(2) (बीए) 3(1)(एस) 3(1)(जी) अनुसूचित जाति

जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में दर्ज हुई जिसमें तहसीलदार सपोटरा को मुलजिम बनाया गया जिससे तहसीलदार, तहसील सपोटरा अप्रार्थी से नाराज है और वगैर जांच किये व वगैर सुनवाई का समुचित अवसर दिये व साक्ष्य सबूत लिये वगैर प्रार्थी को 3 माह की सजा करने की ऐलानिया धमकी दे रहे हैं जिससे प्रार्थी को न्याय की उम्मीद नहीं है। इसलिये प्रार्थी उक्त प्रकरण की सुनवाई तहसीलदार सपोटरा के बजाय अन्य सक्षम अधिकारी से करवाना चाहता है जिससे प्रार्थी को न्याय प्राप्त हो सके। उक्त प्रकरण में प्रार्थी को समुचित सुनवाई का साक्ष्य एवं जवाबदेही का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है जिससे प्रार्थी न्याय से वंचित नहीं हो सके। प्रार्थी अनुसूचित जाति का सदस्य है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाने का कथन किया है।

पैरोकार सरकार ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि उक्त प्रकरण में दिनांक 30.09.2019 को ग्राम भरतून के राजेन्द्र प्रसाद शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम भरतून के खसरा नं. 1014 आम रास्ता पर कमल पुत्र चौथ्या धोबी द्वारा बाउण्ड्री (दीवार) कर अतिक्रमण की शिकायत की गई थी जिस पर कार्यालय हाजा के पत्र क्रमांक–एल.आर./2019/2836 दिनांक 11.10.2019 द्वारा टीम गठित कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया था जिसकी पालना रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा गठित टीम ने दिनांक 11.11.2019 को तहसील में प्रस्तुत कर दी थी। प्रार्थी के विरुद्ध संस्थित वाद संख्या 10/2019 का दिनांक 25.05.2020 को निर्णय कर दिया गया है जिसके बाद प्रार्थी द्वारा यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई है। अंत में प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा ग्राम भरतून के आराजी खसरा नं. 996 रकबा 0.02 हैक्टे. किस्म गै.मु. व खसरा नं. 1014 रकबा 0.02 हैक्टे. किस्म गै.मु. रास्ता पर अतिक्रमण करने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू–अभिलेख निरीक्षक वृत इनायती द्वारा अतिक्रमण की पुष्टि किये जाने पर प्रार्थी के विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार सपोटरा में मुकदमा नं. 10/2019 संस्थित किया गया था जिसे सुनवाई हेतु अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित किये जाने बाबत् प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 30.06.2020 को प्रार्थना पत्र पेश किया था। परंतु उक्त प्रकरण का दिनांक 25.05.2020 को ही न्यायालय सपोटरा में निर्णय पारित हो चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण को सुनवाई हेतु अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित किया जाना संभव नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुंतकिली खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.08.2020 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Sidharth Sihag
Date: 2020.08.25 17:55:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: